(वाद सं0–5383/4/34/2023)

06.02.2024

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, विमला कुमारी, निलम्बित सहायक शिक्षिका, उच्च मध्य विद्यालय, कमलबीघा, अरियरी, शेखपुरा को निलंबन की तिथि से अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, शेखपुरा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, शेखपुरा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शेखपुरा के प्रतिवेदनानुसार, ''परिवादी को 4490/– (चार हजार चार सौ नब्बे रूपये) कार्यालय के खाता में वापस में नहीं करने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने तथा सरकारी राशि का गबन करने के आरोप में दिनांक–08.04.2023 को निलम्बित कर, विभागीय कार्रवाई संचालन की गयी। विभागीय कार्रवाई के उपरान्त परिवादी को 16,490/– मात्र की वेतन आदि से वसूली करते हुए उसे कुछ शर्तों के साथ निलम्बन से मुक्त कर दिया गया। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी को अप्रैल 2023 व मई 2023 का वेतन का भुगतान किया जा चुका है। जून 2023 तथा जुलाई 2023 का जीवन निर्वाह भत्ता उक्त माह के वेतन में सन्निहित है तथा माह अगस्त 2023 के जीवन निर्वाह भत्ता के निकासी की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी को दिनांक–29.08.2023 को निलम्बन से मुक्त कर दिया गया है तथा अगस्त 2023 के बाद की अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता का दावा अनुमान्य नहीं है।''

अब जब कि परिवादी के निलम्बन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जा चुका है तथा विभागीय कार्रवाई के उपरान्त परिवादी को निलम्बन से मुक्त भी कर दिया गया है तो

ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के प्रतिवेदन (पृष्ठ 06–04/प0) की प्रति संलग्न कर, तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव